न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 : 183/2018

अनवान :

1. हर्ष बैनीवाल पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. रौनक पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. आर.एम.जी.बी ग्रामीण बैक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक अनुतोष
अन्तर्गत धारा 88 राज.काश.अधि.

उपस्थिति : वकील श्री पवन सिहाग **वादीगण**

वकील श्री रोहताश शर्मा: **प्रतिवादीगण**

निर्णय   दिनांक : 28.8.18

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार से है कि रोही मोजा चक 8 एम.एस.आर. के खाता संख्या 91/93 के मु.न. 4 के किला नं. 21 मु.न. 7 के किला नं. 1, 10, 11, 20, 21, 22 मु.न. 8 के किला नं. 1, 2, 8 से 12, 19, 20 कुल 4.048 हैक्टर नहरी प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/4 हिस्सा एवं चक 8 एमएसआर के खाता संख्या 47/42 के मु.न. 4 के किला नं. 22 से 25 मु.न. 7 के किला नं. 2 से 9, 12 से 19 मु.न. 8 के किला नं. 13 से 18, 23 से 25 की कुल 7.3370 हैक्टर नहरी 7.137 हैक्टर खाला 0.2000 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/9 हिस्सा एवं चक 9 एमएसआर के खाता संख्या 30/26 के मु.न. 2 के किला नं. 3, 8 से 10, 13, 23 मु.न. 8 के किला नं. 3 कुल 1.5180 हैक्टर में 1/9 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है एव इसी प्रकार रोही 9 एमएसआर के खाता संख्या 62/58 के मु.न. 1 के किला नं. 24 एव 25 मु.न. 2 के किला नं. 4 से 7, 14 से 17, 24, 25 मु.न. 8 के किला नं. 1, 2, 4 से 21 कुल 7.7040 हैक्टर नहरी में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/4 हिस्सा राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। इसी प्रकार चक 7 एमएसआर के खाता संख्या 32/31 के मु.न. 54 के किला नं. 14, 17, 21 से 24, मु.न. 64 के किला नं. 5, 9, 12 मु.न. 65 के किला नं. 1 से 3, 10 कुल 2.4660 हैक्टर नहरी में 1/9 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। नकल जमाबंदी संलग्न वाद है। यही बिनाय दावा है।

Rlw
अधिकारी (राजस्व)
हनुमानगढ़

प्रतिवादी राजेन्द्र प्रसाद को उपर वर्णित कृषि भूमि अपने ताऊ जयलाल जो लाऔलाद फौत हो गया है से विरासतन प्राप्त हुई है एवं कुछ भूमि अपने पिता से विरासतन प्राप्त हुई है। उपरोक्त कृषि भूमि महज परिवार कर्ता होने के कारण प्रतिवादी राजेन्द्र प्रसाद के नाम दर्ज है जबकि हस्तगत वादभूमि संयुक्त हिन्दु परिवार की कोपार्सरी जददी जायदाद है। जिससे वादीगण को ऋण आदि लेने में, कृषि भूमि को समतल उपजाउ बनाने एवं अन्य मनमाफिक उपयोग में लेने में कठिनाईयों का समाना करना पड़ता है। वादीगण अपने पिता राजेन्द्र प्रसाद के साथ उक्त भूमि सदामत से काश्त करते आ रहे है एवं वादीगण का प्रतिवादी राजेन्द्र प्रसाद के साथ वादगत भूमि में जन्म से हक हिस्सा निहित है।

वादीगण यह घोषणा करवा पाने का मजाज कानूनी है कि रोही मौजा चक 8 एमएसआर के खाता संख्या 91/83 की कुल 4.048 हैक्टर नहरी में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/4 हिस्सा एवं रोही चक 8 एमएसआर खाता संख्या 47/42 की कुल 7.3370 हैक्टर नहरी 7.137 हैक्टर खाला 0.2000 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/9 हिस्सा एवं रोही चक 9 एमएसआर के खाता संख्या 30/26 की कुल 1.5180 हैक्टर में 1/9 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज है तथा चक 9 एमएसआर के खाता संख्या 62/58 की कुल 7.7040 हैक्टर नहरी में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/4 हिस्सा एवं इसी प्रकार चक 7 एमएसआर के खाता संख्या 32/31 की कुल 2.4660 हैक्टर नहरी में 1/9 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज है। उपर वर्णित समस्त कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 राजेन्द्र प्रसाद के नाम दर्ज कृषि भूमि में प्रतिवादी राजेन्द्र प्रसाद के साथ साथ वादी हर्ष बैनीवाल व वादी रौनक तीनों बहिस्सा बराबर प्रत्येक 1/3– 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार है एवं बाद घोषणा असी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन फरमाया जावे।

वादभूमि में वादीगण ने अपने हक अधिकारों की घोषणा के लिये उक्त दावा पेश किया है जिसकी बाबत प्रतिवादी सं. 2 के पक्ष में भूमि रहन होने के कारण उन्हे औपचारिक पक्षकार बनाया गया है एव वादभूमि की लैण्ड होल्डर राजस्थान सरकार होने के चलते उसे जरिये तहसीलदार राजस्व भादरा पक्षकार प्रतिवादी बनाया गया है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को वादभूमि में वादी के खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करवाने के लिये कहा तो प्रतिवादीगण ने ऐसा करने से साफ इन्कार कर दिया। लिहाजा यही बिनाय मुखास्मत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गय सम्मन तामील होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादी सं0 1 ने आपसी सहमति से राजीनामा कर लिया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया व प्रतिवादी सं. 2 को वाकील वादी ने तर्क किया गया। प्रतिवादी सं. 3 ने अपना जवाबदावा पेश किया। वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा राजीनामा पेश होने पर तनकी कायम करने की आवश्यकता नही होने के कारण पत्रावली साक्ष्यवादी हेतु रखी गयी।

साक्ष्य वादी में हर्ष बैनीवाल पुत्र राजेन्द्र प्रसाद निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा के बयान करवाये गये एवं दस्तावेजी साक्ष्य में चक 8 एमएसआर के खाता संख्या 91/83 सम्वत 2071–75 की जमाबंदी प्रदर्श 1, इसी चक के खाता संख्या 16 सम्वत 2029 से 38 प्रदर्श 2, एवं खाता संख्या 49 सम्वत 2029 से 38 प्रदर्श 3, चक 8 एमएसआर के खाता सं. 47/42 सम्वत 2072 से 75 प्रदर्श 4, चक 8 एमएसआर के खाता सं. 8 व 34 की जमाबदी सम्वत 2029 से 38 प्रदर्श 5 व 6, चक

9 एमएसआर के खाता सं. 30/26, 62/58 की जमाबंदी सम्वत 2073 से 76 प्रदर्श 7 व 8, खाता संख्या 28, 16, 38 की जमाबंदी सम्वत 2029 से 38 प्रदर्श 9, 10, व 11 चक 7 एमएसआर के खाता संख्या 32/31 सम्वत 2071 से 74 की जमाबंदी प्रदर्श 12, चक 7 मुन्सरी के खाता सं. 20/20 सम्वत 2029 से 38 जमांबंदी प्रदर्श 13, असल वारीस प्रमाण पत्र प्रदर्श 14, नामान्तरण सख्या चक 7 एमएसआर प्रदर्श 15, चक 7 एमएसआर नामान्तरण सं. 179 प्रदर्श 16, चक 9 एमएसआर के नामान्तरण सं. 177 प्रदर्श 17 प्रदर्शित करवाये, तथा मेरे दादा जयलाल पुत्र मोजीराम द्वारा मेरे पिता के पक्ष में करवायी गयी वसीयत की चित्रप्रति एव मेरा दादा जयलाल का मृत्यु प्रमाण पत्र की चित्रप्रति पेश की जिसे साक्ष्य स्वरूप पढा जावे।

बहस वकील उभय पक्ष सुनी गई। हस्तगत प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा राजीनामा होने पर वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 8 एमएसआर के खाता संख्या 91/83 की कुल 4.048 हैक्टर नहरी में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/4 हिस्सा एवं रोही चक 8 एमएसआर खाता संख्या 47/42 की कुल 7.3370 हैक्टर नहरी 7.137 हैक्टर खाला 0. 2000 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/9 हिस्सा एवं रोही चक 9 एमएसआर के खाता संख्या 30/26 की कुल 1.5180 हैक्टर में 1/9 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज है तथा चक 9 एमएसआर के खाता संख्या 62/58 की कुल 7.7040 हैक्टर नहरी में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/4 हिस्सा एवं इसी प्रकार चक 7 एमएसआर के खाता संख्या 32/31 की कुल 2.4660 हैक्टर नहरी में 1/9 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 राजेन्द्र प्रसाद के नाम दर्ज कृषि भूमि में प्रतिवादी राजेन्द्र प्रसाद के साथ साथ वादी हर्ष बैनीवाल व वादी रौनक तीनों बहिस्सा बराबर प्रत्येक 1/3– 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादभूमि बैक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद डिक्री की पालना की जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल हो। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 28.8.18 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला हनुमानगढ)

(राजकुमार कस्वा)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ

पर्चा डिक्री

न्यायालय : उपखण्ड अधिकारी भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी : श्री राजकुमार कस्वा आर.ए.एस.

रण सं0 : 183/2018

वान :

1. हर्ष बैनीवाल पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट निवासी सरदारगढिया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. रौनक पुत्र राजेन्द्र प्रसाद जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।

– वादीगण

बनाम

1. राजेन्द्र प्रसाद पुत्र मोमनराम जाति जाट निवासी सरदारगढ़िया तहसील भादरा जिला हनुमानगढ़।
2. आर.एम.जी.बी ग्रामीण बैक शाखा भादरा जरिये शाखा प्रबंधक भादरा।
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व तहसील भादरा।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक अनुतोष
अन्तर्गत धारा 88 राज.काश.अधि.

आज यह वाद मुझ राजकुमार कस्वा उपखण्ड अधिकारी भादरा से समक्ष वकील ादीगण पवन सिहाग एवं वकील प्रतिवादी रोहताष शर्मा की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने र हस्तगत प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादी सं. 1 के द्वारा राजीनामा होने पर वाद वादीगण ुताबिक राजीनामा डिक्री कर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 8 एमएसआर के खाता संख्या 91/83 की कुल 4.048 हैक्टर नहरी में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/4 हिस्सा एवं रोही चक एमएसआर खाता संख्या 47/42 की कुल 7.3370 हैक्टर नहरी 7.137 हैक्टर खाला 0.2000 हैक्टर में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/9 हिस्सा एवं रोही चक 9 एमएसआर के खाता संख्या 30/26 की कुल 1.5180 हैक्टर में 1/9 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज है तथा चक 9 मएसआर के खाता संख्या 62/58 की कुल 7.7040 हैक्टर नहरी में प्रतिवादी सं. 1 के नाम 1/4 हिस्सा एवं इसी प्रकार चक 7 एमएसआर के खाता संख्या 32/31 की कुल 2.4660 हैक्टर नहरी में 1/9 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 के नाम राजस्व रिकार्ड में खातेदारी दर्ज कृषि भूमि में प्रतिवादी सं. 1 राजेन्द्र प्रसाद के नाम दर्ज कृषि भूमि में प्रतिवादी राजेन्द्र प्रसाद के साथ साथ वादी हर्ष बैनीवाल व वादी रौनक तीनों बहिस्सा बराबर प्रत्येक 1/3– 1/3 हिस्सा के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है तथा वादभूमि बैक के रहन हो तो रहन मुक्त होने के बाद डिक्री की पालना की जावे। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल हो।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 28.8.18 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(राजकुमार कस्वा)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला हनुमानगढ़)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी
भादरा, जिला हनुमानगढ़